संख्याः 50/2016/2055 प्रो0/51-2016-20(235)/2000

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2016

विषयः राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार में उपलब्ध कराये गये वाहनों के देयकों के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के प्रदेश आगमन पर जिला प्रशासन की मॉग पर परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली वी0आई0पी0 टैक्सियों तथा उनसे सम्बन्धित देयकों के भुगतान के परिपेरक्ष्य में कतिपय आपत्तियां उठायी गयी है। प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दर्शायी गयी आपत्ति तद्क्रम में शासन के निर्देश निम्नवत् हैः-

| | आपत्तियां | शासन के (प्रोटोकाल विभाग ) के निर्देश |
|---|---|---|
| 1- | शासनाद संख्या-141/30-2-2013- 88/95 टी.सी. दिनांक 31-05-2013 के अनुसार ' जनपद स्तर पर परिवहन निगम द्वारा टैक्सी तभी उपलब्ध करायी जायेगी, जब सम्बन्धित जनपद प्रोटोकाल विभाग द्वारा राज्य अतिथि घोषित कराये जाने की शासनादेश की प्रति परिवहन निगम के अधिकारियों को उपलब्ध करायेगा' लेकिन फिर भी शासनादेश की प्रति मांग पत्र के साथ उपलब्ध नही करायी जा रही है, जिस कारण बहुत से देयक भुगतान हेतु लम्बित है । | राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के प्रयोजनार्थ टैक्सी की मॉग किये जाते समय राज्य अतिथ्य प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश की प्रति भी परिवहन निगम के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय । |
| 2- | जिन विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों को स्वंय के भुगतान के आधार पर राज्य अतिथि घोषित किया गया है, अतः अतिथि से भुगतान प्राप्त करना होता है, लेकिन फिर भी जनपद द्वारा बिल प्रोटोकाल विभाग को भेज दिये जाते है । अतिथि से भुगतान प्राप्त करने में जनपद स्तर पर पर्याप्त सहयोग नही मिलता है । यही स्थिति अन्य देशों से पधारे अतिथियों के सम्बन्ध में भारत सरकार से भुगतान प्राप्त करने की भी है । | शासनादेश संख्याः 3189 प्रो/51-2013-20(50)/ 2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 (छायाप्रति संलग्न) जो समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0/ समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है में यह निर्देश दिये जा चुके है कि 'जिन महानुभाव के प्रवास व परिवहन की व्यवस्था भुगतान के आधार पर की जाती है । उनसे भ्रमण से पूर्व अथवा समाप्त होने के बाद स्थल पर ही अत्यन्त शिष्ट एवं व्यवहारिकता प्रदर्शित कर अपने स्तर से भुगतान प्राप्त करने का कष्ट करें । यदि सम्भव न |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | | हो तो उनसे सम्बन्धित विभाग/संस्था से तत्काल भुगतान प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।<br>कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें । |
| 3- | जनपद के लिए अतिथि घोषित थे फिर भी उस जनपद के बाहर की यात्रा की जाती है। | शासनादेश संख्याः 1606 प्रो0/51-2015-20(3)/ 2015, दिनांक 28 मई, 2015 जो समस्त जिलाधिकारी को सम्बोधित है में यह निर्देशित किया गया है 'प्रदेश में पधारने वाले ऐसे महानुभाव, जिन्हें शासन द्वारा राज्य अतिथि घोषित करते हुए जिला मुख्यालय के अन्तर्गत वाहन की सुविधा अनुमन्य की जाय, को वाहन का उपयोग जिला मुख्यालय के अन्तर्गत केवल स्थानीय यात्रा हेतु ही अनुमन्य किया जाय' ।<br>कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें । |
| 4- | डुप्लीकेट बिलों पर शासनादेश के अनुसार परिवहन निगम द्वारा नॉनपेमेंट सर्टिफिकेट अंकित किये जाने के बाद भी अधिकांशतः जिलाधिकारी/ जनपदीय प्रोटोकाल अधिकारी द्वारा नॉनपेमेंट सर्टिफिकेट अंकित नही किया जाता है । | उक्त बिन्दू के संबंध में भली-भाँति परीक्षण करते हुए नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें |

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दर्शाये गये उपरोक्त आपत्तियों के अनुक्रम में उनके सम्मुख अंकित शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही आपसे जनपद में राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के उपयोगार्थ वी0आई0पी0 टैक्सी/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में निकटतम जनपदों से ही परिवहन निगम की वी0आई0पी0 टैक्सी प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 50/2016/2055 प्रो0/51-2016-20(235)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ ।
2- वित्त नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in